PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, Delhi
Mon, 19 Jun 2017, Page 13
Width: 6.94 cms, Height: 24.20 cms, a4, Ref: 12.2017-06-19.140

ड्यूटी पर दिव्यांग हुए अर्धसैन्यकर्मी को 20 लाख

नई दिल्ली। अर्धसैनिक बल कर्मियों के कार्रवाई के दौरान 100 प्रतिशत दिव्यांग होने की स्थिति में दिए जाने वाले मुआवजे को नौ लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मुआवजा सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर एक जनवरी, 2016 से लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक कार्यालय परिपत्र में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता की स्थिति में दिए जाने वाला मुआवजा दिव्यांगता के अनुपात में घटा दिया जाएगा। आठ अर्धसैनिक बलों के करीब 10 लाख कर्मी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आते हैं। इन आठ अर्धसैनिक बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ), सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ), इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी), असम राइफल्स (एआर), नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (एनएसजी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) शामिल हैं।